"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 169] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 18 मई 2018 — वैशाख 28, शक 1940

आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 18 मई 2018

अधिसूचना

क्रमांक एफ 1–20/2016/32. — जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (क्र. 6 सन् 1974) की धारा 64 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल से परामर्श पश्चात् राज्य सरकार, एतद्द्वारा, जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) (सम्मति) छत्तीसगढ़ नियम, 1975 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :–

संशोधन

उक्त नियमों में,–

1. नियम 4 में,–

   (एक) उप–नियम (पांच) की अनुसूची के सरल क्रमांक 10 के कॉलम (3) में, अंक "1,50,000" के स्थान पर, अंक "1,00,000" प्रतिस्थापित किया जाये।

   (दो) उप–नियम (पांच) की अनुसूची के सरल क्रमांक 11 के कॉलम (3) में, अंक "75,000" के स्थान पर, अंक "50,000" प्रतिस्थापित किया जाये।

2. नियम 5 में,–

   (एक) उप–नियम (5) की अनुसूची के सरल क्रमांक 10 के कॉलम (3) में, अंक "62,500" के स्थान पर, अंक "50,000" प्रतिस्थापित किया जाये।

   (दो) उप–नियम (5) की अनुसूची के सरल क्रमांक 11 के कॉलम (3) में, अंक "50,000" के स्थान पर, अंक "25,000" प्रतिस्थापित किया जाये।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार
संजय शुक्ला, सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 18 मई 2018

क्रमांक एफ 1–20/2016/32. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 18–05–2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार
संजय शुक्ला, सचिव.

Naya Raipur, the 18th May 2018

NOTIFICATION

No. F 1-20/32/2016. — In exercise of the powers conferred by Section 64 of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 (No 6 of 1974), and after consultation with the Chhattisgarh Environment Conservation Board, the State Government, hereby, makes the following further amendment in the Water (Prevention and Control of Pollution) (Consent) Chhattisgarh Rules, 1975, namely :-

AMENDMENT

In the said rules,-

1. In rule 4, -
   - (i) in column (3) of serial number 10 of Schedule of sub-rule (v), for the figure "1,50,000", the figure "1,00,000" shall be substituted.
   - (ii) in column (3) of serial number 11 of Schedule of sub-rule (v), for the figure "75,000", the figure "50,000" shall be substituted.
2. In rule 5, -
   - (i) in column (3) of serial number 10 of Schedule of sub-rule (5), for the figure "62,500", the figure "50,000" shall be substituted.
   - (ii) in column (3) of serial number 11 of Schedule of sub-rule (5), for the figure "50,000", the figure "25,000" shall be substituted.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
SANJAY SHUKLA, Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित – 2018.